न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–जगदीश आर्य

अपील संख्या 25/2024 तारीख रजू 27.03.2024

1. जाकिर बेग पुत्र वहीद बेग निवासी ग्राम बहतेड़ तहसील मलारना डूंगर
2.शाहिद बेग पुत्र वहीद बेग निवासी ग्राम बहतेड़ तहसील मलारना डूंगर – अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, मलारना डूंगर ——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित –श्रीहरिमोहन जाट एड0 – अपीलार्थी
पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 08.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, मलारना डूंगर द्वारा मुकदमा नं0 148/2024 मे पारित आदेश दिनांक 10.01.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम बहतेड़ के आराजी खसरा नम्बर 2876/3458, 2886 रकबा 0.61 है0 किस्म बंजड़ पर संवत 2080 में फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर सरसों की फसल काश्त करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 60 दिवस के सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून रूयेदाद मिसल होने के कारण निरस्त योग्य है। यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया गया है तथा गलत प्रकार से अपना निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। यह कि उक्त आराजीयात ख0नं0 2876/3458, 2886 रकबा 0.61 है0 कुल भूमि 0.61 है0 किस्म बंजड़ वाके ग्राम बहतेड़ पर अपीलान्ट का वर्तमान में कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा ना ही अपीलान्ट कोई पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है। पटवारी हल्का द्वारा अपनी मर्जी से अपीलान्ट के विरूद्व गलत एवं निराधार रिपोर्ट पेश की है। जबकि वास्तविकता में अपीलाण्ट का उक्त सरकारी भूमि ख0नं0 2876/3458, 2886 रकबा 0.61 है0 के लगवा अपनी कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि ख0नं0 2876 रकबा 0.7300 है0, ख0नं0 2885 रकबा 0.6300 है0 ख0नं0 2886/3484 रकबा 0.2800 है0 पर कब्जा है। पटवारी हल्का द्वारा भी उक्त सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं होने बाबत रिपोर्ट पेश की है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा आराजी जेर बहस अपील पर कोई कब्जा नहीं होने और ना ही कभी भविष्य में

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

कब्जा करने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.01.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलार्थी के भाई को तामील होने पर अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 10.01.2024 को उपस्थित हुए। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में दिनांक 22.09.2023 को अपीलार्थी को भू.अभि.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का द्वारा वास्तविक रूप से बेदखल करने का दस्तावेज उपलब्ध है जिससे अपीलार्थी पश्चातवर्ती साबित होता है। अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.03.2024 पेश की है जिसमें अपीलार्थी को आराजी ख0नं0 2876/3458 रकबा 0.33 है0, 2886 रकबा 0.28 है0 पर अतिक्रमी पाये जाने पर अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 07.03.2024 को बेदखली की कार्यवाही की गई है रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है कि उक्त आराजी भूमि वर्तमान में खाली (पड़त) पडी हुई है। अतिक्रमी द्वारा पुनः अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया हैं एवं अतिक्रमण नहीं होने तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 10.01.2024 में अपीलान्ट के ख0नं0 2876/3458, 2886 रकबा 0.61 है0 में फसल रबी में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करना तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना पाया जाता है किन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलार्थी का वर्तमान में उक्त आराजी ख0नं0 2876/3458, 2886 रकबा 0.61 है0 पर कब्जा नहीं होना भी साबित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति व फसल नीलामी का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 60 दिवस के सिविल काराव्रास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8/5/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर